

राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड

गांधी ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-302005

फोन नः 0141-2228059, फैक्स नः 0141-2228065

ई-मेल: rmcs.supply2@gmail.com

CIN: U24232RJ2011SGC035067

Website: www.rmcs.health.rajasthan.gov.in

क्रमांक : एफ. 04()/आरएमएससी/विशेषाधिकारी/2021 286 दिनांक : 12/5/2021

कार्यालय आदेश

M/s Syncom Healthcare Limited, 502, Advent Atria, Chincholi Bunder Road, Malad (West), Mumbai-400064 को औषधियों की निविदा क्रमांक F.02(261)/RMSCL/PROCUREMENT/DRUG/NIB-03/2019/40 दिनांक 15.01.2019 के तहत औषधि Dexamethasone Tab IP 0.5mg (code no. 40) के क्रयादेश क्रमांक 2032 दिनांक 29.08.2019 के द्वारा 459400 मात्रा, क्रयादेश क्रमांक 2680 दिनांक 04.11.2019 के द्वारा 713000 मात्रा एवं क्रयादेश क्रमांक 3596 दिनांक 17.02.2020 के द्वारा 690500 मात्रा 60 दिवस में आपूर्ति किये जाने हेतु जारी किये गये थे।

फर्म द्वारा निर्धारित समय में उक्त औषधि के जारी क्रयादेशों के विरुद्ध आपूर्ति नहीं करने पर पत्रांक 1213 दिनांक 16.09.2020 द्वारा नोटिस जारी किया गया। उक्त औषधि अतिआवश्यक औषधि की श्रेणी में आने के कारण इसके अभाव में राज्य सरकार की प्लैगशिप योजना पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। इस प्रकरण का एजेण्डा तैयार कर अनुशासनात्मक समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ रखा गया। इस सम्बन्ध में निर्माता फर्म को अनुशासनात्मक समिति के समक्ष अपना पक्ष रखने हेतु लिखा गया। दिनांक 27.01.2021 को निगम की अनुशासनात्मक समिति की बैठक आयोजित की गई। फर्म की ओर से अनुशासनात्मक समिति में कोई प्रतिनिधि उपस्थिति नहीं हुआ। अनुशासनात्मक समिति ने विचार-विमर्श कर पाया कि उक्त फर्म द्वारा नियमित रूप से तीन क्रयादेश जारी किए जाने के उपरान्त भी औषधि की शून्य/आंशिक मात्रा आपूर्ति की गई हैं, जो राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम से हुए अनुबन्ध का उल्लंघन है।

अनुशासनात्मक समिति पत्र क्रमांक 96 दिनांक 20.04.2021 द्वारा प्राप्त दिनांक 27.01.2021 को आयोजित मीटिंग की मिनिट्स की अनुशंषा के आधार पर निविदा शर्त संख्या 13(8) के अनुसार निर्माता फर्म M/s Syncom Healthcare Limited, 502, Advent Atria, Chincholi Bunder Road, Malad (West), Mumbai-400064 को औषधि Dexamethasone Tab IP 0.5mg (code no. 40) हेतु यह आदेश जारी करने की दिनांक से दो वर्ष के लिए विवर्जित (Debar) किया जाता है। निगम द्वारा जारी पूर्व क्रयादेशों की आपूर्ति पर इसका कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(आलोक रंजन) 
आई.ए.एस.
प्रबन्ध निदेशक



मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना



क्रमांक : एफ.04()/आरएमएससी/विशेषाधिकारी/2021 286 दिनांक : 12/5/2021

निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

01. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
02. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
03. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, महाराष्ट्र।
04. मिशन निदेशक, एनएचएम जयपुर।
05. निजी सहायक, प्रबन्ध निदेशक, आरएमएससीएल, जयपुर।
06. निदेशक PH/RCH/HA/AIDS/MSH/IEC चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
07. Drug Controller General (India) New Delhi
08. औषधि नियंत्रक राजस्थान/महाराष्ट्र।
09. कार्यकारी निदेशक (गुणवत्ता नियंत्रण/प्रोक्योरमेंट/वित्त/लॉजिस्टिक्स), आरएमएससीएल जयपुर।
10. संयुक्त निदेशक (आई.टी.), आरएमएससीएल।
11. समस्त प्रभारी अधिकारी, जिला औषधि भण्डार गृह, राजस्थान जयपुर।
12. M/s Syncom Healthcare Limited, 502, Advent Atria, Chincholi Bunder Road, Malad (West), Mumbai-400064
13. गार्ड फाईल

44
विशेषाधिकारी
आर.एम.एस.सी.